

# र्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद हेतु लिखित परीक्षा—2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :-	07	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।</div>
परीक्षार्थी का रोल नंबर :-	3005	
आवेदित पद का नाम :-	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	
अभ्यर्थी का नाम :-	नीतू सिंह कर्मा	
पिता/पति का नाम :-	श्री देवेन्द्र सिंह कर्मा	
आवेदक का पता :-	मेन रोड अंवराभाटा, म.क. 59, वार्ड 06 प्रज्ञा इण्डियन गैस एजेंसी के बाजू में अंवराभाटा, दन्तेवाडा, छ.ग. 494449	
वर्ग :-	अ.ज.जा.	
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)		
परीक्षा तिथि :-	04/11/2017	
समय :-	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक	
परीक्षा केन्द्र :-	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.)—496001	



(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

## परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद हेतु लिखित परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :-	256	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।</div>
परीक्षार्थी का रोल नंबर :-	2151	
आवेदित पद का नाम :-	स्टेनोग्राफर हिन्दी	
अभ्यर्थी का नाम :-	शैलेन्द्र कुमार देवांगन	
पिता/पति का नाम :-	श्री जगतराम देवांगन	
आवेदक का पता :-	पाटणकर कालोनी वार्ड 27 बबला पान ठेला के पास, स्टेशन रोड, दुर्ग, छ.ग. 491001	
वर्ग :-	अ.पि.व. (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)	
परीक्षा तिथि :-	04/11/2017	
समय :-	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक	
परीक्षा केन्द्र :-	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001	



(अध्यक्ष)  
चयन समिति  
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

## परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में विल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद हेतु लिखित परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :-	197	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।</div>
परीक्षार्थी का रोल नंबर :-	2150	
आवेदित पद का नाम :-	स्टेनोग्राफर हिन्दी	
अभ्यर्थी का नाम :-	दिनेश कुमार विश्वकर्मा	
पिता/पति का नाम :-	स्व. श्री राममिलन विश्वकर्मा	
आवेदक का पता :-	दिनेश प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र स्व. श्री राममिलन विश्वकर्मा क.नं. ई-95, नई पुलिस लाईन दुर्ग, छ.ग.	
वर्ग :-	अ.पि.व. (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)	
परीक्षा तिथि :-	04/11/2017	
समय :-	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक	
परीक्षा केन्द्र :-	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001	



(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

## परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछोट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टैबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद हेतु लिखित परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :-	167	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।</div>
परीक्षार्थी का रोल नंबर :-	2149	
आवेदित पद का नाम :-	स्टेनोग्राफर हिन्दी	
अभ्यर्थी का नाम :-	अंजनी निर्मलकर	
पिता/पति का नाम :-	श्री रामेश्वर निर्मलकर	
आवेदक का पता :-	शंकर नगर गौरा चौक वार्ड नं. 10, दुर्ग, छ.ग.	
वर्ग :-	अ.पि.व.	
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)		
परीक्षा तिथि :-	04/11/2017	
समय :-	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक	
परीक्षा केन्द्र :-	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001	



(अध्यक्ष)  
चयन समिति  
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

## परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद हेतु लिखित परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :-	127	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।</div>
परीक्षार्थी का रोल नंबर :-	2148	
आवेदित पद का नाम :-	स्टेनोग्राफर हिन्दी	
अभ्यर्थी का नाम :-	मंजू यादव	
पिता/पति का नाम :-	श्री भोलाराम यादव	
आवेदक का पता :-	पचरी पारा, आनन्द चोक मंगस भवन के पास, दुर्गा, छ.ग., 491001	
वर्ग :-	अ.पि.व.	
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)		
परीक्षा तिथि :-	04/11/2017	
समय :-	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक	
परीक्षा केन्द्र :-	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) —496001	



(अध्यक्ष)

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

## परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(सहायक ग्रेड—तीन के पद हेतु लिखित परीक्षा—2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :-	408	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।</div>
परीक्षार्थी का रोल नंबर :-	1373	
आवेदित पद का नाम :-	सहायक ग्रेड—तीन	
अभ्यर्थी का नाम :-	शुभला साहू	
पिता/पति का नाम :-	स्व. श्री रामकृष्ण साहू	
आवेदक का पता :-	शुभला साहू C/o श्री लक्ष्मी नारायण साहू, केवड़ा बाड़ीबस स्टैण्ड, रायगढ़ छ0ग0	
वर्ग :-	अ.पि.व. (अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)	
परीक्षा तिथि :-	04/11/2017	
समय :-	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक	
परीक्षा केन्द्र :-	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) —496001	



(अध्यक्ष)  
चयन समिति  
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

## परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछॉट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।